

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में ।

प्रपत्र-B

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

दिनांक:- 16/12/25

क्रमांक:-

आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी ..... 3M2P ..... व  
भू.अ.नि. 91/मु.ता.ता की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामसिंहनगर नायब तहसीलदार  
की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के  
अनुसरण में ग्राम 6M2P-C तहसील रायसिंहनगर व जिला राजसमंद की जमाबंदी  
सम्बत 2016-2017 में खाता संख्या 15 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से  
शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र०सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	6M2P-C	15	खान लाल जमाबंदी में धारि की जारी का अंक नहीं है।	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है। खान लाल जमाबंदी में शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है। खान लाल जमाबंदी में धारि की जारी का अंक नहीं है। धारि की जारी का अंक नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
रायसिंहनगर

दिनांक:-

क्रमांक:-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली ।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
रायसिंहनगर

